

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2025 / 482/27

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विधि संकाय अन्तर्गत विधि के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यविधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

विधि अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. योगेन्द्र कुमार तिवारी विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, शास. विधि महाविद्यालय, रीवा(म०प्र०)
	2.	डॉ. भूमि धनवानी विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, रामाकृष्णा कालेज ऑफ लॉ, सतना(म०प्र०)
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. सतीश श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, विधि महाविद्यालय, सतना(म०प्र०)
	2.	डॉ. दिलीप पाठक विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, रामाकृष्णा कालेज ऑफ लॉ, सतना(म०प्र०)
28(2) पाँच	1.	डॉ. ऋषी कुमार द्विवेदी नीलकण्ठ ला महाविद्यालय, मैहर (म०प्र०)
	2.	

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. योगेन्द्र कुमार तिवारी को विधि अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म०प्र०)
3. अध्यक्ष/अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विधिसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. वित्त नियंत्रक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
8. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
9. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल (म०प्र०)
10. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)